

फर्द अहकॉम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

पांचाराम पुत्र वनाम श्रीयाथों पुत्र मुहम्मद खान
मूलाराम जाति मुहम्मदखान, मि० - नागड़दा
जाति - कुपार, मि० - नागड़दा तह० - शिव, जिला - बाड़मेर
तह० - शिव, जिला - बाड़मेर

किस्म मुकदमा... राज. अधि. मुकदमा नम्बर..... 16.1..... / 2022.....

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व दिनांक अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11/08/22	प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री... <u>जो. राम कुमार</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा..... <u>212</u> राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेन्ट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक..... <u>25/08/22</u> को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	
25.8.22	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीएमसीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक <u>31.8.22</u> को पेश हो। X	
31.8.22	पत्रावली पेश हुई प्रती अधिवक्ता उपस्थित। प्रती अधिवक्ता द्वारा विप्रार्थी के तामिलपुदा नोटिस पेश किये, जिसे शामिल पत्रावली डिफा गजा। पत्रावली वास्ते तहसीलदार शिव को रेकॉर्ड एवं मौका स्थिति की तथ्यालय रिपोर्ट हउ तहरीर हो जारी होकर आहदा दिनांक <u>14.9.22</u> को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

12.24

पत्रावली पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 14.2.25 को पेश हो।

14.02.25

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी
के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आइन्दा
दिनांक 04.03.25 को पेश हो।

4.4.25

पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील अप.
प्रार्थी के वकील की मौजिद सूचना प्राप्त पत्रावली
बादले आदेशिकानुसार हेतु दिनांक 5.5.25
को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

5.5.25

पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी/विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 12.6.25 को पेश हो।

12.06.25

पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील अनुपस्थित।
चूंकि इम्त आवेदन का मूल काद जैसी
के अभाव में अदत हाजरी व जैसी के
खारिज किया जा चुका है। अतः मूल
काद के खारिज होने से इम्त आवेदन
का कोई प्रोचिन्ना एवं महत्व नहीं होने
से आवेदन इन्ही तरेज पर अदत हाजरी व
अदत जैसी के खारिज किया जाता है।
पत्रावली शामिल इम्त हो।

सहायक कलक्टर
(वाइमेर)